दो रुपये TWO RUPEES — दस रुपये TEN RUPEES — दो रुपये TWO RUPEES

(46)

न्यायालय माननीय सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

प्र०क्र०   /2014 निगरानी – R. 1053 - I/14

1- भरतसिंह

2- रामविलास दोनों पुत्रगण हीरालाल

3- रामरती

4- प्रकाशवती

5- सकुन्तला

6- राजावेटी

पुत्रीयाँ हीरालाल सभी जाति ठाकुर

निवासीगण ग्राम घुरघान तहसील व जिला

।म०प्र०।

---- आवेदकगण

A. के. तिवारी ०८
आज दि 29-3-14 को
क्लर्क ऑफ कोर्ट 29-3-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
4.30 PM
29-3-14

बनाम

श्र०मायादेवी वेवा रामप्रकाश जाति ठाकर

निवासी ग्राम घुरघान तहसील व जिला मुरैना

।म०प्र०।

---- अनावेदिका

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 25-3-14 न्यायालय नायव तहसीलदार महोदय, वृत-5 मुरैना ।पीठासीन श्रीमती काजल दीक्षित जी। के प्र०क्र० 14/10-11 अ3/27 अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू-राजस्व संहिता 1959 ।

माननीय महोदय,

प्रकरण के तथ्य संक्षेपमें निम्नलिखित प्रस्तुत है –

(45)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1053—एक/2014 जिला मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4—4—2014	आवेदक अधिवक्ता श्री पी0के0तिवारी उपस्थित । उन्हें प्रकरण की ग्राह्यता पर सुना । 2— आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ तहसीलदार तहसील व जिला मुरैना के न्यायालय के आदेश दिनांक 25—3—14 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । 3— तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने आवेदक की आपत्ति अमान्य करने का कारण अपने आदेश दिनांक 25—3—14 में नहीं बताया है । प्रकरण का अंतिम निराकरण इन निर्देशों के साथ किया जाता है कि तहसीलदार के द्वारा आवेदक की आपत्ति के संबंध में पुनः बोलता हुआ आदेश पारित करें । प्रशासकीय सदस्य	आदेश भेजा गया 9-4-14